न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-235RAAJodhpur2022-146RTA225 Surtaram Vs Khumaram etc

सुरताराम पुत्र रुग्गाराम, जाति जाट, निवासी- रामसर लोड़ता अचलावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. खूमाराम पुत्र रुग्गाराम, जाति जाट, निवासी- रामसर लोड़ता अचलावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. हनुमानाराम पुत्र खुमाराम
3. महेन्द्राम पुत्र खुमाराम
4. शेम्भूराम पुत्र खुमाराम
5. माण्डू देवी पत्नी खुमाराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- गोदेलाई, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 जून 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 168/2022 सुरताराम बनाम खुमाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो संख्या छः

बकाया रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19 जनवरी 2024

19.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 168/2022 सुरताराम बनाम खुमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 10 जून 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 308/6 रकबा 104.07 बीघा, खसरा नं. 318/4 रकबा 60.10 बीघा ग्राम रामसर के संबंध में पेश किया गया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, किंतु दिनांक 09 जून 2022 को प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विद्युत कनेक्शन की छूट देने बाबत स्वीकार कर पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रत्यर्थी को विद्युत कनेक्शन की छूट प्रदान कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी सहखातेदार है तथा माननीय राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, जहां उसके द्वारा सहखातेदार के कब्जे काश्त व उसके अस्तित्व को मानने से इंकार कर दिया गया हो, इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश गलत रूप से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवश्यक सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई है, जबकि स्थगन में संशोधन हेतु अलग

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण विधि के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया है। विद्युत डिमाण्ड वर्ष 2020 में जारी हो रखा है तथा वाद प्रस्तुत कर किय जाने के पश्चात 02 वर्ष क अवधि में भी बंटवाड़ा के वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित होता है कि प्रत्यर्थीगण बंटवाड़ा करवाने के इच्छुक नहीं है तथा वह येन-केन प्रकरेण अपीलार्थी को परेशान करना चाहते है तथा अधिक व कीमती भूमि हड़प कर विशेष भू-भाग पर कब्जा करने की नियत से आलौच्य आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय में जिस व्यक्ति के नाम डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया है, उसके द्वारा विद्युत संबंध लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्ही तथ्यों पर पूर्व में प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिये जाने के कारण चलने योग्य नहीं रह जाता है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं को अपने पक्ष में साबित किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित कर बंटवाड़े वाद के विचाराधीन रहते प्रत्यर्थीगण को विशेष भू-भाग पर कब्जा करने की छूट प्रदान कर दी है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 168/2022 सुरताराम बनाम खुमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 जून 2022 में विद्युत कृषि कनेक्शन की छूट के आदेश को निरस्त फरमाया जावे तथा शेष आदेश को यथावत रखे जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता के प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

19.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 308/6 एवं 318/4 अपीलांट एवं रेस्पोडेट्स की 1/2-1/2 हिस्से में संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवाड़े के दावे के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट्स को विशेष भू-भाग पर विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की छूट प्रदान की गई है जो प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 168/2022 सुरताराम बनाम खुमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 जून 2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 308/6 रकबा 104.07 बीघा एवं खसरा नं. 318/4 रकबा 60.10 बीघा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर